# मिरेकल फाउंडेशन इंडिया, यूनिसेफ और महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार की सांझेदारी से

## जुलाई से सितंबर 2022
## झारखण्ड राज्य

**मिरैकल फाउंडेशन** इंडिया वर्ष **2019** से यूनिसेफ तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक व्यवस्थित परिवर्तन कार्यक्रम पर कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य राज्य में परिवार–आधारित देखभाल और वैकल्पिक देखभाल को बढ़ावा देना और गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक झारखंड के सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी, सी. सी. आई के कार्यकर्त्ता का प्रशिक्षण बच्चों के परिवार आधारित/वैकल्पिक देखभाल (**FS-FB&AC**) एवं संस्थाओं में आवासित बच्चों के देखभाल के मानक विषयों पर किया जा चुका है तथा इस सीख को अन्य साझेदारों तक ले जाने हेतु **24** प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इस तरह एक लम्बे समय के लक्ष्य के रूप में "हर बच्चे को एक सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और पोषक परिवार मिले" की संकल्पना को धरातल पर लाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं।

## जमीनी स्तर के चैंपियंस

एफएस–एफबीएसी की प्रथाओं को सीखने और साझा करने के लिए और विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक के दौरान टीम नियमित रूप से जिलों में जा रही है। इन यात्राओं के दौरान, टीम को ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण लातेहार जिला से भी देखने को मिला जिसमे जिले के सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष श्री उपेंद्र नाथ दुबे ने बताया की सीडब्ल्यूसी के किसी भी सदस्य का चयन नहीं होने के कारण वन मैन आर्मी के रूप में कार्यरत हैं। इसके बावजूद उन्होंने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके अम्बेडकर आवास योजना के साथ **17** बच्चों के परिवार को सहयोग किया है। एक ब्यूटीशियन कोर्स के लिए आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को पत्र लिखकर एक बच्चे का सहयोग कर रहे है। वह इन बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए समर्थन देकर बच्चों के अनुकूल लातेहार की इच्छा रखते हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने एक **17** साल की बच्ची का मामला बताया जिसके भाई को एक साल पहले एक व्यक्ति ने अगवा कर लिया था। वजह यह है कि आदमी लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहत था। उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी बड़ी बहन का शव एक साल पहले कुएँ में मिला था, उन्हें यकीन है कि यह एक हत्या है जो उसी व्यक्ति ने की हैं। उन्होंने कई बार पुलिस को सूचित किया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। सीडब्ल्यूसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेजेबी, पुलिस, जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए नियमित फालोअप किया है। अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।

**"एक 17 साल की बच्ची के भाई को एक साल पहले एक व्यक्ति ने अगवा कर लिया था। वजह यह है कि आदमी लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी बड़ी बहन का शव एक साल पहले कुएँ में मिला था, उन्हें यकीन है कि यह एक हत्या है जो उसी व्यक्ति व्यक्ति ने की हैं। उन्होंने कई बार पुलिस को सूचित किया लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की। सीडब्ल्यूसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेजेबी, पुलिस, जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए नियमित फालोअप किया है। अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।**
**– सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष श्री उपेंद्र नाथ दुबे, लातेहार जिला**

## मिरेकल फाउंडेशन इंडिया टीम की बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, लातेहार एवं विधि सह संरक्षण अधिकारी के साथ चर्चा

जब कोई बच्चा अपने परिवार से अलग होता है तब यह जानने की जरुरत पड़ती है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इन कारणों को जानने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एक गुणवत्ता पूर्ण वैयक्तिक देखभाल योजना **(ICP)** और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट **(SIR)** की आवश्यकता होती है।

ज्यादातर जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई **(DCPU)** इस तरफ सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और जिले के अन्य हितधारकों की मदद कर रहे हैं। जिले के दौरे के दौरान और डीसीपीयू द्वारा साझा किए गए नमूनों के माध्यम से, टीम पुष्टि करती है कि आईसीपी और एसआईआर के लिए **26** डीसीपीयू अधिकारी बाल देखभाल संस्थाओं के कर्मचारियों, चाइल्डलाइन आदि को लगातार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।

## बाल देखभाल संस्थाओं के कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

हाल ही में मिरेकल फाउंडेशन इंडिया द्वारा यूनिसेफ एवं झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के साथ चल रहे कार्यक्रम **"हर बच्चे को एक स्नेहपूर्ण परिवार"** के अंतर्गत झारखण्ड की **10** बाल देखभाल संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण की खास बात ये थी कि यह प्रशिक्षण विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से चयनित एवं प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी की निदेशक राजेश्वरी बी (आई ए एस) एवं यूनिसेफ झारखण्ड बाल संरक्षण विशेषज्ञ प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

अपने उद्‌बोधन में जे. एस. सी. पीएस निदेशक ने कहा "आज बहुत से समृद्ध परिवारों में भी माता पिता अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नही दे पाते हैं  है, ऐसे में समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे बच्चे जो परिवार की किन्ही समस्याओं के चलते संस्थागत देखभाल में आ जाते हैं उन्हें समुदाय आधारित ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सहायता और योजनाओं के माध्यम से पुनर्वासित किया जाना चाहिए जिससे परिवार बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके।"

**"आज बहुत से समृद्ध परिवारों में भी माता पिता अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नही दिया जा रहा है, ऐसे में समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे बच्चे जो परिवार की किन्ही समस्याओं द्वारा के चलते संस्थागत देखभाल में आ जाते हैं उन्हें समुदाय आधारित ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सहायता और योजनाओं के माध्यम से पुनर्वासित किया जाना चाहिए जिससे परिवार बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके।"**
**– राजेश्वरी बी (आई ए एस), निर्देशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी**

यूनिसेफ झारखण्ड से बाल संरक्षण विशेषज्ञ प्रीति श्रीवास्तव ने परिवार आधारित/ वैकल्पिक देखभाल के विषय पर कहा कि "उन मूल कारणों को जानना चाहिए जिनकी वजह से बच्चे परिवार से अलग होते हैं और ऐसे बच्चों और परिवारों को सहायता प्रदान करना ज्यादा प्रभावी और स्थाई होता है। इस प्रशिक्षण का हर एक सत्र किशोर न्याय अधिनियम के औचित्य पर आधारित है। इसके माध्यम से हम हर हितधारक के साथ एक मिशन के रूप में शामिल होकर झारखंड के हर बच्चे को एक प्यारा परिवार सुनिश्चित करा सकें।

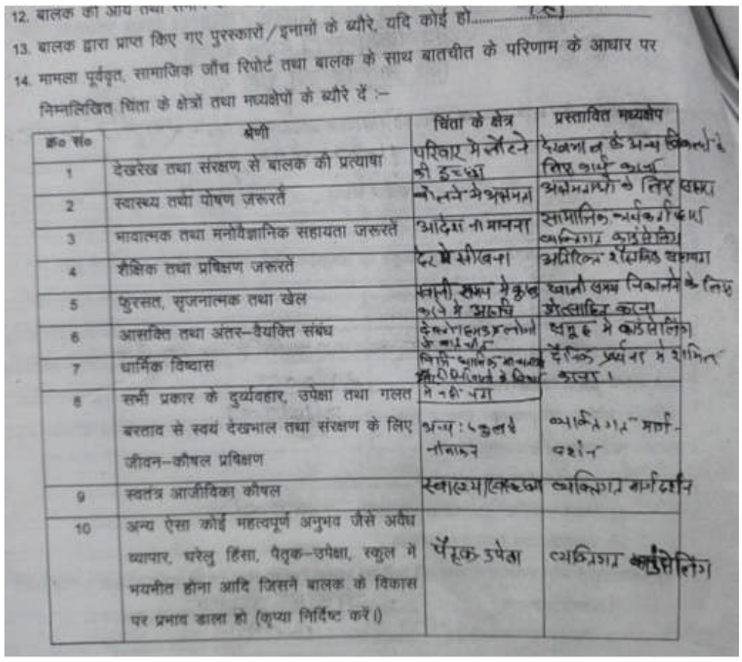

### मिरेकल फाउंडेशन द्वारा दिए गए आई सी पी मार्गदर्शक प्रपत्र का अनुसरण कर भरा गया आईसीपी


12. बालक की आय तथा ...
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हो......
14. मामला पूर्ववृत, सामाजिक जाँच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें :–

| क्र० सं० | श्रेणी | चिंता के क्षेत्र | प्रस्तावित मध्यक्षेप |
|---|---|---|---|
| 1 | देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा | परिवार मे लौटने की इच्छा | [illegible] |
| 2 | स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें | [illegible] | [illegible] |
| 3 | भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें | [illegible] | [illegible] |
| 4 | शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें | [illegible] | [illegible] |
| 5 | फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल | [illegible] | खाली समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करना |
| 6 | आसक्ति तथा अंतर–वैयक्ति संबंध | [illegible] | [illegible] |
| 7 | धार्मिक विश्वास | [illegible] | [illegible] |
| 8 | सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखभाल तथा संरक्षण के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण | [illegible] | [illegible] |
| 9 | स्वतंत्र आजीविका कौशल | [illegible] | व्यक्तिगत मार्गदर्शन |
| 10 | अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलु हिंसा, पैतृक–उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृप्या निर्दिष्ट करें।) | पैतृक उपेक्षा | व्यक्तिगत काउंसेलिंग |

"जिन संसाधनों पर हम देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए खर्च करते हैं उन्ही संसाधनों के खर्च को परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए खर्च करें तो ज्यादा प्रभावी होगा"
– रितेश कुमार, मास्टर प्रशिक्षक

"यह स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तरह के एक एकीकृत बाल देखभाल उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से बहुत भाग ले रहा हूँ, आतिथ्य और फैलोशिप से प्रभावित हूं, योग्य प्रशिक्षकों द्वारा उनके मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए धन्यबाद ज्ञापन करता हूँ,इस प्रक्षिणा के दौरान सिखाये गए सारे विषय अक्षर सह पालन हो इसके लिए पूरा प्रयत्न करूँगा"
– स्वामी प्रणवानंद, प्रतिभागी

For more details please connect with us:
Amrendra Kumar Singh, State Head

amrendra@miraclefoundation.org

TheMiracleFoundationIndia

miraclefoundationindia

MiracleFoundationIndia.in |
MFIndia@MiracleFoundation.org | CIN No.: U93000DL2011NPL222639
Miracle Foundation India is a Section 25 registered Company